भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 1544
29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आय बढ़ाने संबंधी योजनाएँ

1544. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोल:
श्री कुलदीप इंदौरा:
डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं का समाधान करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई/शुरू की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) यदि हाँ, तो उक्त योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके क्या परिणाम रहे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) सरकार द्वारा किसानों को प्रदान की जा रही राजसहायता प्राप्त योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(घ) उक्त योजनाओं से गत तीन वर्षों के दौरान लाभान्वित किसानों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): कृषि राज्य का विषय है, तथापि, भारत सरकार देश में किसानों के कल्याण हेतु केंद्रीय क्षेत्र के साथ-साथ केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला को कार्यान्वित कर रही है। इन योजनाओं में ऋण, बीमा, आय सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर, फसलें, बागवानी, बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से फसलों की खरीद और डिजिटल कृषि सहित कृषि का संपूर्ण क्षेत्र शामिल है।

किसानों की समस्याओं के समाधान और उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की सूची **अनुबंध I** में संलग्न है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वर्ष जुलाई, 2018-जून, 2019 के संदर्भ में एनएसएस के 77वें दौर (जनवरी, 2019 - दिसंबर, 2019) के दौरान कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) किया।

इन सर्वेक्षणों के अनुसार, प्रति कृषि परिवार अनुमानित औसत मासिक आय वर्ष 2012-13 (एनएसएस 70वां दौर) में 6,426 रुपये से बढ़कर वर्ष 2018-19 (एनएसएस 77वां दौर) में 10,218 रुपये हो गई।

एनएसएसओ के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (2023-24) के अनुसार, अखिल भारतीय औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के अनुमानों की तुलना निम्नानुसार है:

क्षेत्र	**विभिन्न अवधियों में औसत एमपीसीई (रुपये)**	
	2011-12 एनएसएस (68वां दौर)	**वर्ष 2023-2024**
ग्रामीण	1,430	4,122
शहरी	2,630	6,996
ग्रामीण एमपीसीई के % के रूप में अंतर	83.9	69.7

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन जारी किया है, जिन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और संबद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के अभिसरण से अपनी आय दोगुनी से भी अधिक बढ़ाई है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही सब्सिडी संबंधी योजनाओं की सूची **अनुबंध II** में संलग्न है।

अधिकांश योजनाओं के लिए लाभार्थियों का चयन, राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है अतः, उनका विवरण राज्य सरकारों द्वारा ही रखा जाता है। जिन योजनाओं के आँकड़े उपलब्ध हैं, वे **अनुबंध III** में दिए गए हैं।

अनुबंध I

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली प्रमुख योजनाएँ

क्रं. सं.	योजना का नाम
I.	**केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ**
1.	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2.	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई)
3.	प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
4.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
5.	संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस)
6.	राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)
7.	कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)
8.	10,000 नये एफपीओ का गठन एवं संवर्धन
9.	स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्रीश्योर)
10.	नमो ड्रोन दीदी
II.	**केंद्रीय प्रयोजित योजनाएँ**
II (i)	**राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)**
II. (ii)	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
11.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आधारित योजनाएँ (आरकेवीवाई-डीपीआर)
12.	मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएचएंडएफ)
13.	वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
14.	प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
14(क)	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ)
15.	परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
16.	कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
16(क).	फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम)
17.	कृषि वानिकी
18.	फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
II (ii). कृषोन्नति योजना	
19.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
19(क).	बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
20	राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
21.	राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑइल पाम
22	समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
22(क)	राष्ट्रीय बाँस मिशन (एमबीएम)
23	एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
24	पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
25	कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
26	डिजिटल कृषि

अनुबंध II

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों के लिए कार्यान्वित की जा रही सब्सिडी संबंधी योजनाएँ

क्रं.सं.	योजना का नाम	उद्देश्य
1.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), किसानों को बुआई पूर्व से लेकर फसल-उपरांत तक सभी अपरिहार्य प्राकृतिक जोखिमों के समाधान हेतु फसलों के लिए व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित करने के लिए सरल और किफायती फसल बीमा प्रदान करती है। यह योजना मांग-आधारित है और सभी किसानों के लिए उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, इस योजना पर कुल व्यय 14772.68 करोड़ रुपये था।
2.	संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस)	ब्याज अनुदान योजना (आईएसएस), फसल उत्पादन और पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन जैसी अन्य संबद्ध गतिविधियों से जुडे किसानों को रियायती अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करती है। आईएसएस किसानों को एक वर्ष के लिए 7% वार्षिक ब्याज दर पर 3.00 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण उपलब्ध कराता है। ऋणों का शीघ्र और समय पर भुगतान करने पर किसानों को अतिरिक्त 3% अनुदान भी दिया जाता है, जिससे प्रभावी ब्याज दर घटकर 4% वार्षिक हो जाती है। इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2025 में घोषणा के अनुसार, ब्याज अनुदान और पीआरआई लाभों का लाभ उठाने के लिए एमआईएसएस के अंतर्गत पात्र ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है, और वर्तमान में इस प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई जारी है।
3.	कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)	कृषि अवसंरचना कोष, ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी सहायता के माध्यम से फसल-उपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा है। इस योजना के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 तक एक लाख करोड़ रुपये का कोष वितरित किया जाएगा और योजना के अंतर्गत सहायता वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2032-33 की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। 30 जून 2025 तक, एआईएफ के अंतर्गत, 1,13,419 परियोजनाओं के लिए 66,310 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं ने कृषि क्षेत्र में 107,502 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया है।
4.	बाज़ार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस-पीएसएस)	मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के लिए लागू की गई है। बाज़ार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) उन कृषि और बागवानी वस्तुओं की खरीद के लिए है जो शीघ्र नाशवान प्रकृति की हैं और मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। हस्तक्षेप का उद्देश्य, इन वस्तुओं के उत्पादकों को फसल की भरपूर पैदावार के समय, कीमतें आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से कम हो जाने की स्थिति में, मजबूरी में बिक्री से बचाना है।
5.	नमो ड्रोन दीदी	सरकार द्वारा हाल ही में वर्ष 2024-25 से 2025-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंज़ूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य, 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को कृषि उद्देश्यों (उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग) के लिए किसानों को किराये पर सेवाएँ प्रदान करने हेतु ड्रोन प्रदान करना है। किसान ड्रोन प्रोत्साहन के लिए, अब तक 141.41 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

6.	प्रति बूँद अधिक फसल (पीडीएमसी)	प्रति बूंद अधिक फसल मुख्य रूप से परिशुद्ध/सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता पर केंद्रित है। उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने हेतु परिशुद्ध सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली) और बेहतर कृषि जल प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त, यह घटक सूक्ष्म सिंचाई के पूरक के रूप में सूक्ष्म स्तर पर जल भंडारण या जल संरक्षण/प्रबंधन गतिविधियों को भी सहायता प्रदान करता है। इस योजना की शुरुआत से अब तक, सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 102.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है और केंद्रीय सहायता के तहत 24789.16 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
7.	कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)	कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) का उद्देश्य, भारत में कृषि यंत्रीकरण के त्वरित तथा समावेशी विकास को उत्प्रेरित करना है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों तक कृषि यंत्रीकरण की पहुँच बढ़ाना है। वर्ष 2014-15 से 2025-26 की अवधि के दौरान, कृषि यंत्रीकरण के लिए 9639.96 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। किसानों को सब्सिडी पर 20.72 लाख मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।
8.	बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)	कृषि फसलों के गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग बीज एवं रोपण सामग्री (एसएमएसपी) उप-मिशन लागू कर रहा है। बीज ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत, बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी) के अंतर्गत, प्रति किसान प्रति एकड़ गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन हेतु अनाज फसलों के लिए बीजों की लागत का 50% और दलहन, तिलहन, चारा और हरी खाद फसलों के लिए 60% मूल्य पर आधारभूत/प्रमाणित बीजों के वितरण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध है। एसएमएसपी के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 2024-25 के दौरान कुल 3201.88 करोड़ रुपये आवंटित किए गए और 2535.67 करोड़ रुपये जारी किए गए।
9.	प्रधानमंत्री-अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)	मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री-अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की एक व्यापक योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पीएम-आशा का उद्देश्य, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करना है। सरकार द्वारा 28 मई 2025 को खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2025-26 की सभी अनिवार्य फसलों और 16 अक्टूबर, 2024 को रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2024-25 की सभी अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई थी।

अनुबंध III

दिनांक 30.06.2025 तक, कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के अंतर्गत राज्य-वार प्रगति (स्वीकृत ऋण)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रं.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नाबार्ड द्वारा स्वीकृत		एससीबी द्वारा स्वीकृत		कुल स्वीकृत		कुल परियोजना लागत
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	राशि
1.	मध्य प्रदेश	249	63	14,083	9,069	14,332	9,132	13,675
2.	महाराष्ट्र	164	39	11,509	7,574	11,673	7,613	12,906
3.	उत्तर प्रदेश	894	119	9,453	7,051	10,347	7,170	11,824
4.	पंजाब	110	11	25,264	5,954	25,374	5,965	9,280
5.	गुजरात	127	40	4,064	4,737	4,191	4,776	7,390
6.	कर्नाटक	958	340	3,341	3,727	4,299	4,067	6,380
7.	तेलंगाना	519	256	2,531	3,415	3,050	3,671	6,244
8.	राजस्थान	169	42	3,679	3,613	3,848	3,655	6,239
9.	हरियाणा	1	2	6,778	3,846	6,779	3,848	6,569
10.	आंध्र प्रदेश	1,041	398	2,229	1,929	3,270	2,327	4,379
11.	तमिलनाडु	5,114	437	2,908	2,269	8,022	2,707	3,729
12.	पश्चिम बंगाल	109	38	5,936	2,528	6,045	2,567	4,125
13.	छत्तीसगढ	17	1	2,190	1,954	2,207	1,955	3,450
14.	ओडिशा	-	-	3,081	1,801	3,081	1,801	2,853
15.	बिहार	4	2	1,777	1,455	1,781	1,456	2,443
16.	केरल	148	279	3,435	1,003	3,583	1,282	1,987
17.	असम	1	1	597	989	598	990	1,733
18.	उत्तराखंड	6	4	594	601	600	605	1,123
19.	झारखंड	-	-	471	519	471	519	877
20.	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	257	532	257	532	687
21.	हिमाचल प्रदेश	21	6	667	314	688	320	533
22.	दिल्ली	-	-	14	35	14	35	58
23.	त्रिपुरा	1	2	9	15	10	17	27
24.	चंडीगढ़	-	-	6	11	6	11	20
25.	गोवा	-	-	31	45	31	45	60
26.	मेघालय	-	-	3	10	3	10	15
27.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	5	6	5	6	18
28.	नगालैंड	-	-	4	6	4	6	8
29.	पुदुचेरी	-	-	7	5	7	5	7
30.	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	-	-	1	1	1	1	2
31.	मणिपुर	-	-	3	1	3	1	1
	सकल योग	**9,653**	**2,080**	**1,04,927**	**65,013**	**1,14,580**	**67,093**	**1,08,642**

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 19वीं किस्त का राज्य-वार विवरण

क्रं. सं.	राज्य	19वीं किस्त (अगस्त - नवंबर 2024)	
		लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	12,987	2.78
2	आंध्र प्रदेश	41,27,619	854.28
3	अरुणाचल प्रदेश	94,948	22.63
4	असम	20,87,406	475.09
5	बिहार	75,90,575	1,592.77
6	चंडीगढ़		
7	छत्तीसगढ	25,94,151	598.96
8	दिल्ली	11,084	2.47
9	गोवा	6,381	1.33
10	गुजरात	51,34,410	1,146.43
11	हरियाणा	16,37,141	359.89
12	हिमाचल प्रदेश	8,30,495	178.31
13	जम्मू और कश्मीर	8,80,247	201.07
14	झारखंड	19,83,858	650.36
15	कर्नाटक	43,95,092	897.90
16	केरल	28,78,013	636.28
17	लद्दाख	18,400	3.89
18	लक्षद्वीप	2,303	0.50
19	मध्य प्रदेश	83,33,799	1,767.03
20	महाराष्ट्र	92,60,727	1,961.26
21	मणिपुर	85,965	25.60
22	मेघालय	1,82,513	44.22
23	मिजोरम	1,23,524	33.65
24	नगालैंड	1,85,868	49.41
25	ओडिशा	34,92,835	924.18
26	पुदुचेरी	8,032	1.65
27	पंजाब	10,23,521	327.46
28	राजस्थान	73,06,768	1,661.37
29	सिक्किम	30,515	7.17
30	तमिलनाडु	22,50,180	490.42
31	तेलंगाना	31,06,592	649.15
32	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	11,691	2.46
33	त्रिपुरा	2,36,514	50.82
34	उत्तर प्रदेश	2,35,42,883	5,489.68
35	उत्तराखंड	8,20,368	180.94
36	पश्चिम बंगाल	45,55,495	979.03
	सकल योग	**9,88,42,900**	**22,270.45**

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) वर्ष 2016-17 से 2024-25 - पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस संयुक्त - दिनांक 30.06.25 तक राज्य-वार व्यावसायिक आंकड़े

क्रं. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बीमित किसानों की संख्या (लाख में)
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.021
2.	आंध्र प्रदेश	435.720
3.	असम	62.891
4.	बिहार	52.311
5.	छत्तीसगढ	435.439
6.	गोवा	0.036
7.	गुजरात	83.945
8.	हरियाणा	388.281
9.	हिमाचल प्रदेश	26.244
10.	जम्मू एवं कश्मीर	9.490
11.	झारखंड	71.657
12.	कर्नाटक	223.557
13.	केरल	9.635
14.	मध्य प्रदेश	1,013.659
15.	महाराष्ट्र	1,306.684
16.	मणिपुर	0.373
17.	मेघालय	0.910
18.	ओडिशा	654.672
19.	पुदुचेरी	1.901
20.	राजस्थान	1,941.486
21.	सिक्किम	0.136
22.	तमिलनाडु	381.110
23.	तेलंगाना	39.040
24.	त्रिपुरा	14.007
25.	उत्तर प्रदेश	529.313
26.	उत्तराखंड	19.998
27.	पश्चिम बंगाल	138.172
	सकल योग	**7,840.688**

दिनांक 14.07.2025 तक प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) के तहत नामांकन

राज्य/वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	1	-
आंध्र प्रदेश	63	38	16
अरुणाचल प्रदेश	1	4	2
असम	409	236	51
बिहार	927	766	315
चंडीगढ़	-	-	-
छत्तीसगढ	88	60	94
दिल्ली	13	14	6
गोवा	1	1	1
गुजरात	214	144	51
हरियाणा	31	49	18
हिमाचल प्रदेश	19	26	6
जम्मू और कश्मीर	237	142	14
झारखंड	244	300	80
कर्नाटक	413	11,423	16,732
केरल	10	13	11
लद्दाख	-	1	-
लक्षद्वीप	-	-	-
मध्य प्रदेश	292	332	139
महाराष्ट्र	280	523	144
मणिपुर	8	-	-
मेघालय	17	24	15
मिजोरम	-	6	5
नगालैंड	2	2	3
ओडिशा	584	411	135
पुदुचेरी	8	2	2
पंजाब	12	20	9
राजस्थान	146	249	61
सिक्किम	3	1	3
तमिलनाडु	306	119	47
तेलंगाना	108	88	83
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2	-	-
त्रिपुरा	25	26	12
उत्तर प्रदेश	304	411	175
उत्तराखंड	19	30	7
पश्चिम बंगाल	422	468	172
सकल योग	**5,208**	**15,930**	**18,409**

*****